महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / प्रशा. / 2020 दिनांक : 29.03.2020

कार्यालय आदेश

देश में कोविड–19 का प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम हेतु मा0 प्रधानमंत्री / मा0 मुख्यमंत्री / शासन द्वारा निरन्तर निर्देश दिये जा रहे है। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा कोविड–19 के रोकथाम हेतु दिनांक 14.04.2020 तक लॉकडाउन किये जाने हेतु देश के समस्त नागरिकों से अपील की गयी है। लॉकडाउन लागू होने के बाद भी विश्वविद्यालय परिसर में निवासरत् कतिपय लोगों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है तथा कोविड–19 के रोकथाम में जानबूझकर बाधा उत्पन्न / उपहास किया जा रहा है।

अतः परिसर में निवासरत् सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में समूह में एकत्रित न हो और बिना अनुमति विश्वविद्यालय परिसर से बाहर न जाय तथा ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को अपने यहाँ आमंत्रित करें। उक्त का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति को परिवार सहित निर्वासित करते हुए जिला प्रशासन को सूचित कर दिया जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. (चीफ प्रॉक्टर) कुलानुशासक, एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
3. सुरक्षा प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि परिसर में एक वाहन पर एक ही व्यक्ति को चलने की एवं गेट नं0 02 पर एक आंगतुक पंजिका रखी जाय जिसमें आने जाने वालो की प्रविष्टि की जाये तथा परिसर में निवासरत् परिवार से एक व्यक्ति को एक बार आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर जाने की अनुमति दी जाये।
4. सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि अपने सम्मानित समाचार पत्र में उक्त सूचना निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करे।
5. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6. प्रभारी, वेबसाइट।

कुलसचिव